प्रपत्र–4

–: परियोजना का नाम :–
–: जनपद बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु :– 1. अन–आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनैस सैन्टर का निर्माण

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

- प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक **07.05.2022** को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय :–
  - *वन विभाग की ओर से श्री हयात सिंह विष्ट वन दरोगा, श्याम सिंह करायत वन क्षेत्राधिकारी,*
  - *राजस्व विभाग की ओर से श्री कुन्दन सिंह, राजस्व उपनिरीक्षक, आनन्द पुरी गोस्वामी, कानूनगो/राजस्व निरीक्षक तथा दीपिका आर्या तहसीलदार बागेश्वर*
  - *भूर्गभ विज्ञान विभाग की ओर से श्री लेखराज, भूवैज्ञानिक/उप निदेशक खनन।*
  - *नगरपालिका के ओर से श्री हिमान्शु शाह, कार्यालय सहायक सहायक नगर पालिका, श्री सतीष पंवार अधि0 अधिकारी, नगर पालिका परिषद, श्री सुरेश खेतवाल माननीय नगर पालिका अध्यक्ष बागेश्वर।*
  - *प्रस्तावक परिवहन विभाग की ओर से श्री हरीश रावल, परिवहन कर अधिकारी, तथा श्री कृष्ण चन्द्र पलड़िया सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,*

..द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपर्युक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

	भूमि	कुल
1	आरक्षित वन भूमि	0.000
2	**सिविल एवं सोयम भूमि**	**0.420**
3	**वन पंचायत भूमि**	**0.320**
4	नाप भूमि	0.000
	कुल	**0.740**

- आरक्षित वन भूमि 0.000 हें0, सिविल एवं सोयम भूमि 0.420 हे0, वन पंचायत भूमि 0.320 हे0, एंव नाप भूमि 0.000 हे0 प्रभावित हो रही है।
- आवेदित वन भूमि में कुल 21 वृक्ष खडे है।
- प्रभाववित होने वाली सिविल स्वयं भूमि में कुल 06 चीड तथा 02 आम के वृक्ष स्थित है तथा प्रभाववित होने वाली वन पंचायत भूमि में कुल 13 चीड के वृक्ष स्थित है।
- प्रभावित कुल 21 वृक्षो का पातन किया जाना है । प्रभावित तथा पातन किये जाने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ब्यासावार विवरण क्रमशः प्रपत्र 19 तथा प्रपत्र 20.1 में संलग्न है। प्रश्नगत परियोजना का निमार्ण जन हित में किया जाना है।
- परियोजना स्थल पर कोई भी बाज प्रजाति का वृक्ष नही है।
- परियोजना संरेखन के चारों कोनों के जी0पी0एस0 का मान क्रमशः (1) 29° 50' 7.18" North Lattitude //79°47' 9.81" East Longitude, (2) 29° 50' 7.85" North Lattitude //79°47' 10.84" East Longitude, (3) 29° 50' 4.15" North Latt. // 79° 47' 15.09" East Long. तथा (4) 29° 50' 4.01"North Latt. // 79° 47' 11.81" East Long. है।
- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना निमार्ण से परिवहन सेवाओं की डिलिवरी निम्न बिन्दुओं के अनुसार आसान होगी।
  - स्वयं के भवन में उचित स्थान उपलब्ध होने के कारण सभी जन सेवाए जैसे वाहनों के पंजीकरण, तकनीकी जांच से सम्बन्धित कार्य तथा डाईविंग लाईसैंस हेतु आवेदकों के बायोमैटिक पजीकरण, सिमुलेटर पर लाईसैंस जांच आदि का कार्य अधिक जनसुलभ हो पाएगा।
  - डाईविंग टैस्टिंग टैक के निर्माण से केवल अधिक दक्ष आवेदक ही लाईसैंस प्राप्त कर पायेगे जिसके फलस्वरूप वाहन दुर्घटनाओं में भी कमी लाना सम्भव हो पाएगा।
  - टैफिक अवरनेस सेन्टर के के निर्माण से प्रथम भवन में प्रवर्तन दल के द्वारा निरूद्व वाहनों को पार्क किया जाएगा तथा द्वितीय भवन का उपयोग यातायात नियमों का उल्लघन करने वाले चालकों को काउसलिंग हेतु किया जाएगा।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी बागेश्वर

राजस्व निरीक्षक क्षेत्र

उपजिलाधिकारी बागेश्वर।

- प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निमार्ण से विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले जनपद 2.6 लाख से अधिक सर्म्पूण आवादी लाभान्वित होगी। जनपद मुख्यालय बागेश्वर जनपद के लगभग मध्य में स्थित होने तथा अन्य सभी जिला स्तरीय कार्यालय सही पर स्थित होने के कारण परिवहन सेवाओं हेतु दुरस्थ क्षेत्रों से आने वाले आम जनों को परिवहन सेवाओं के आसान उपलब्धता के द्वष्टिगत परियोजना निमार्ण जनहित में मुख्यालय के समीप किया जाना ही समीचीन है।
- पाया गया कि परियोजना के निमार्ण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। अतःवर्तमान विकल्प/संरेखण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया।
- संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त है।
- चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नही है ।
- चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा।
- इस समरेखण पर परियोजना निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण परियोजना स्थल पर ही **Lowland** पर किया जाएगा, मलवा निस्तारण हेतु अन्य भूमि की आवश्यकता नही है ।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हों)..

....

(भुवन चन्द्र लोहनी) सरपंच, पूर्व वन पंचायत	(नितेष कुमार वर्मा) सभासद, चण्डिका वार्ड, गाडगॉव	(हिमांशु शाह) कार्यालय सहायक, नगर पालिका
(सतीष पवार) अधि0 अधिकारी, नगर पालिका परिषद,	(सुरेश खेतवाल) नगर पालिका अध्यक्ष, बागेश्वर।	(कुन्दन सिंह) राजस्व उपनिरीक्षक
(आनन्द पुरी गोस्वामी) कानूनगो/राजस्व निरीक्षक	(दीपिका आर्या) तहसीलदार बागेश्वर	(हयात सिंह विष्ट) वन दरोगा
(श्याम सिंह करायत) वन क्षेत्राधिकारी	(लेख राज) भूवैज्ञानिक	(कृष्ण चन्द्र पलड़िया) सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रयोक्ता एजेन्सी)
(हर गिरी) उप जिलाधिकारी बागेश्वर	(हिमांशु बागरी) प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर	(विनीत कुमार) जिलाधिकारी बागेश्वर

नोटः– उक्त सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सम्बन्धि विभाग/संस्थाओं हस्ताक्षर के उपरान्त प्रस्ताव के साथ लगाई जानी है।